

मंहगाई राहत कैम्प

24 अप्रैल 2023 – 30 जून 2023

जिला प्रशासन जोधपुर

महंगाई राहत कैम्प

- आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए उनकी दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई जनउपयोगी घोषणाएं की हैं।
- इन घोषणाओं को जन-जन तक पहुँचाने तथा मिशन मोड में प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु महंगाई राहत कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है ।


शिविर की विशेषताएं



- राजस्थान में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति शिविर में संपर्क कर पंजीकरण करा सकता है।
- जरूरी नहीं कि व्यक्ति उसी गाँव या उसी जिले से हो।
- किसी भी महंगाई राहत कैम्प कियोस्क के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है।
- व्यक्ति अपना जन आधार कार्ड / संख्या प्रस्तुत कर अवगत करावेंगे कि उन्हें किस योजना हेतु पंजीकरण वांछित है।

मंहगाई राहत कैम्प

कुल 2700 कैम्प



योजनाएं

1	गैस सिलेण्डर योजना (उज्जवला लाभार्थी व बीपीएल चयनित परिवार)	पंजीकरण व मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण
2	मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (घरेलु उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क)	पंजीकरण व मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण
3	मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क)	पंजीकरण व मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण
4	मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना (खाद्य सुरक्षा लाभार्थी)	पंजीकरण व फूड पैकेट वितरण
5	महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस)	पंजीकरण व Job Card वितरण

योजनाएं

6	इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना	पंजीकरण व Job Card वितरण
7	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – न्यूनतम 1000 रूपय प्रति माह – वृद्धजन सम्मान, विशेष योग्यजन, एकलनारी सम्मान	पंजीकरण व Revised PPO Order वितरण
8	कामधेनु पशु बीमा योजना (पशु पालकों को पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य व उनकी सुरक्षा की गारण्टी दी जायगी)	पंजीकरण व एकनोलेजमेंट रसीद का वितरण
9	मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (बढ़ी हुई बीमा राशि 25 लाख रूपय)	पंजीकरण एवं नवीन Policy Kit वितरण
10	मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (बढ़ी हुई बीमा राशि 10 लाख रूपय)	पंजीकरण एवं नवीन Policy Kit वितरण

प्रशासन गाँवों के संग अभियान

- 11,283 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक पंचायत में 2 दिवसीय शिविर
- 352 ब्लॉक स्तरीय दल जो कि प्रत्येक ब्लॉक में स्थित प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कैलेंडर अनुसार २ दिवसीय शिविरों का आयोजन करेंगे
- शिविर प्रभारी - उपखण्ड अधिकारी /अन्य आर.ए.एस. अधिकारी
- 30 विभागों की सहभागिता

स्थाई मंहगाई राहत केंप


- स्थान –
राजकीय अस्पताल , गैस
एजेन्सी बस स्टेण्ड, प्रमुख
बाजार शॉपिंग मॉल, हवाई
अड्डा, रेल्वे स्टेशन, जिला
कलक्ट्रेट , पंचायत समिति,
नगर पालिका व अन्य
राजकीय कार्यालय /
सार्वजानिक स्थल



शिविर व्यवस्थाएं

- प्रत्येक शिविर में
 - 2 काउन्टर –
 - 1. पंजीकरण
 - 2. योजनाओं सम्बन्धी वितरण
 - स्टैंडर्ड व आकर्षक डिज़ाइन
 - दो राजकीय अधिकारी / कर्मचारी व एक राजीव गांधी युवा मित्र व एक कम्प्यूटर ओपरेटर कि इ्यूटी
 - DoIT द्वारा विकसित किये जा रहे **Common Platform Application** पर उपरोक्त 10 योजनाओं का एक साथ पंजीकरण व तत्काल लाभ वितरण
 - प्रतिदिन किये गये लाभ वितरण की सूचना सग्रहण हेतु Block स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन करना।
 - **Checklist**

कार्य योजना



स्व निर्धारण प्रपत्र

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

- राजस्थान के प्रत्येक परिवार को ₹ 25,00,000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व सविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन
- अन्य परिवारों को ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम
- जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद अनिवार्य

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित सदस्यों के रूप में बीमित परिवार के वह सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में अंकित है।
- इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का एक साल तक की आयु का वह शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना

- राजस्थान के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क
- राजस्थान के समस्त कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क

मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना

- राजस्थान के समस्त खाद्य सुरक्षा लाभार्थी को निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना

- शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवार को एक वर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।

महात्मा गाँधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

- राजस्थान के समस्त जॉब कार्ड होल्डर्स को 25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

- योजना के अंतर्गत ज़रूरत मंद पुरुष और महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा लाभ प्रदान किये जायेंगे जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना आदि।

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना

- इस योजना के माध्यम से पशु पालन करने वालों को पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और पशुपालकों को इनकी सुरक्षा की गारंटी मिलेगी।

गैस सिलेण्डर योजना

- उज्जवलला लाभार्थी व बीपीएल चयनित परिवार

मंहगाई राहत कैम्प

आमजन और वंचित वर्ग को मंहगाई से राहत देने के लिए उनकी दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई जनउपयोगी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा मिशन मोड में प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु मंहगाई राहत कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है।

24 अप्रैल 2023 – 30 जून 2023

नाम..... पिता का नाम

मोबाइल नं. ग्राम पंचायतग्राम

जनाधार नं. बिजली बिल खाता संख्या /K नं.

स्व-निर्धारण प्रपत्र

	योजना	क्या आप योजना के पात्र है ?
1	गैस सिलेण्डर योजना (उज्जवलला लाभार्थी व बीपीएल चयनित परिवार)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
2	मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
3	मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
4	मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना (खाद्य सुरक्षा लाभार्थी)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
5	महात्मा गाँधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
6	इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना	<input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input checked="" type="checkbox"/> नहीं
7	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पृष्ठजन सम्मान, विशेष योग्यजन, एकलनारी सम्मान	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
8	कामधेनु पशु बीमा योजना (पशु पालकों को पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य व उनकी सुरक्षा की गारण्टी दी जायेगी)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
9	मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (बढ़ी हुई बीमा राशि 25 लाख रुपये)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
10	मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (बढ़ी हुई बीमा राशि 10 लाख रुपये)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं

प्रक्रिया

- प्रत्येक ग्राम पंचायत वार आवश्यकतानुसार सरकारी कार्मिक कैंप - वार नियोजित करना
 - पटवारी, विद्यालय सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, रोज़गार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
 - आवश्यकता पडने पर मनरेगा कार्यस्थल पर मेट के माध्यम से स्व-निर्धारण प्रपत्र का वितरण एवं भरने के पश्चात पुनः संग्रहण करवाया जा सकता है।

कार्मिकों के दायित्व

- महंगाई राहत कैम्प - स्व निर्धारण प्रपत्र वितरण
- ग्राम पंचायत में कैंप तिथि से ४ दिवस पूर्व (न्यूनतम) वितरण, १ दिवस पूर्व संग्रहण
- कैंप की निर्धारित तिथि ग्राम वासियों को सूचित करना
- ग्राम पंचायत की दिनांक 20.04.2023 की पाक्षिक बैठक में आगामी शिविर की सूचना सभी वार्ड पंचों को देना एवं आवश्यकतानुसार स्व-निर्धारण प्रपत्र का वितरण करना।
- लाभार्थियों की संख्या अधिक होने पर उन्हें दिनांक एवं समय (वार्डवार) से अवगत करवाया जा सकता है।
- सम्बंधित कैंप में उपस्तिथि
- कंप्यूटर ऑपरेटर से समन्वय कर प्रपत्र के माध्यम से + अन्यथा पंजीकरण
- कंप्यूटर ऑपरेटर से समन्वय कर गारंटी कार्ड/जॉब कार्ड/PPO प्रिंटिंग
- लाभार्थी को वितरण (शिविर में अन्यथा निवास पर)

धन्यवाद